

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 1708 का संशोधन सहीत नवीकरण Amendment cum Renewal of Type Approval Number 1708

विषय / Sub : स्टैंड बाई सीडब्ल्यूपी (आईएडीएस), पार्ट सं. एसई-एसटीबीवाईसीडब्ल्यूपी-01 (2बी2), वर्ज़न-2

STANDBY CWP (IADS), Part Number: SE-STBYCWP-01 (2B2), Version-2

यह घोषित किया जाता है मेसर्स सदर्न इलेक्ट्रोनिक्स (बेंगलोर) प्राइवेट लिमिटेड, 16-ए, पीन्या इंडस्ट्रियल एरिया, फेस- I, पीन्या, बेंगलूरु – 560 058 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित " स्टैंड बाई सीडब्ल्यूपी (आईएडीएस)" पार्ट सं.: एसई-एसटीबीवाईसीडब्ल्यूपी-01 (2बी2), वर्ज़न-2, संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1708, दिनांक 14 मार्च 2012, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1708 जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2016 तक था।

This is to state that the "Standby CWP (IADS)", bearing part no.: SE-STBYCWP-01 (2B2), Version-2 designed, developed and manufactured by M/s Southern Electronics (Bangalore) Private Limited, 16-A, Peenya Industrial Area, Phase -I, Peenya, Bengaluru -560~058 were issued with Type Approval No.:1708 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1708, dated: 14^{th} March 2012, with its validity up to 31^{st} December 2016.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2017 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपृष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगत, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (हेलिकॉप्टर), द्वारा एच ए एल, हेलिकॉप्टर प्रभाग, बेंगलूरु – 560 017, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st January 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2021 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Helicopter), C/o HAL, Helicopter Division, Bengaluru – 560 017 three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

ਧੂਬ/Page 01 of 02

ਧੂਬ/Page 02 of 02 ਟੀ ए सਂ./TA No. 1708

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1708, दिनांक 14 मार्च 2012 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1708, dated: 14th March 2012 is amended as stated herewith.

"[अगर इस संलग्न टाइप रिकोर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमित लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]"

"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]".

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगे।

All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.

सं ./ No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070 /टी.ए/TA-1708/1R

दिनांक / Date : **७७** March 2017 फैक्स सं. / Fax No.: 080-25230856

(पी. जयपाल / P. JAYAPAL)

मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) Chief Executive (Airworthiness)

Anidal